

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 99]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27, 1974/वैशाख 7, 1896

No. 99]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 27, 1974/VAISAKHA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th April, 1974

G.S.R. 189(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 1974, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. M.11018/4/73-UDII]

निर्माण और आवास मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1974

सां० कां० निं० 189(अ).—दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पहली मई 1974 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिस को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं० एम०-11018/4/73-यू० डी० II]

G.S.R. 190(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby establishes with effect from the 1st day of May, 1974, the Delhi Urban Art Commission which shall consist of a Chairman and two other members as follows:—

Chairman

1. Shri Bhagwan Sahay, C-31, South Extension, Part II, New Delhi—

Members

2. Shri A. P. Kanvinde, 14/E, Central Ring, Connaught Place, New Delhi.
3. Shri E. Alkazi, Director, National School of Drama and Asian Theatre Institute, Ravindra Bhavan, Ferozshah Road, New Delhi.

[No. M.11018/4/73-UDII]

सां. कां. निं. 190(अ).—दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पहली मई 1974 से दिल्ली नगर कला आयोग स्थापित करती है जिस में निम्नलिखित एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे :—

- | | |
|---|---------|
| 1—श्री भगवान सहाय, सी-31, साउथ एक्स्टेंशन, भाग II, नई दिल्ली | } सदस्य |
| 2—श्री एं. पी. कनविन्दे, 14/एफ, सेंट्रल रिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली | |
| 3—श्री ई. अलकाजी, निदेशक, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एण्ड एशियन थियेटर इंस्टिट्यूट, रविन्द्र भवन, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली | |

[सं. एम. 11018/4/73—यू. डी. II]

G.S.R. 191(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974) read with clauses (a), (b) and (h) of sub-section (2) of that section, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Urban Art Commission (Terms and Conditions of Service) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the 1st day of May, 1974.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires.

(a) "Act" means the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974);

(b) "Chairman" and "Member" mean respectively the Chairman and Member of the Commission appointed under section 4 of the Act;

(c) "Commission" means the Delhi Urban Art Commission established under section 3 of the Act;

(d) "Secretary" means the secretary of the Commission appointed under sub-section (1) of section 9 of the Act.

3. Salaries, Allowances and other Conditions of Service of whole time Members.—(1) A whole time Chairman shall draw a fixed monthly salary of Rs. 3,000 and a whole time member shall draw salary in the scale of Rs. 2,500—125/2—2,750.

(2) The other terms and conditions of service shall be the same as applicable to a Grade I Officer of the Central Government under the Fundamental and Supplementary Rules.

4. Remuneration of part time Chairman and Members.—(1) A part time Chairman or member of the Commission resident in Delhi shall be paid an allowance at the rate of Rs. 50 per day for each day or days of the actual meetings of the Commission; and

(2) A part time Chairman or member of the Commission, not resident in Delhi, shall be entitled to an allowance of Rs. 75 per day (inclusive of daily allowance) for each day or days of the actual meetings of the Commission, and also to travelling allowance at such rate as is admissible to a Grade I Officer of the Central Government under the Supplementary Rules.

5. Terms and Conditions of service of the Secretary.—(1) The Secretary of the Commission shall draw a salary in the scale of Rs. 2,000—125—2,250.

(2) In respect of other terms and conditions of service, he shall be governed by the rules applicable to a Grade I officer of the Central Government under the Fundamental and Supplementary Rules.

6. Creation or abolition of and appointment to the other posts in the Commission.—(1) No post shall be created or abolished in the Commission without the prior approval of the Central Government.

(2) No appointment to a post the maximum of the scale of which is Rs. 1,000 or above shall be made by the Commission without the prior approval of the Central Government.

(3) Appointments to other posts may be made subject to such terms and conditions as may be determined by regulations made by the Commission.

सा० का० वि० 191 (ख).—दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 26 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख) और (ज) के साथ पठित, उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा के निबंधन और शर्तों) नियम 1974 है।

(2) ये नियम 1 मई, 1974 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षा न हो,—

(क) “अधिनियम” से दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) “अध्यक्ष” और “सदस्य” से अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त आयोग के क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य अभिप्रेत हैं;

(ग) “आयोग” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित दिल्ली नगर कला आयोग अभिप्रेत है;

(घ) “सचिव” से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का सचिव अभिप्रेत है।

3. पूर्ण कालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें.—(1) पूर्णकालिक अध्यक्ष 3000 रु० नियत मासिक वेतन लेगा और पूर्णकालिक सदस्य 2500—125/2—2750 रु० चेतनमान में वेतन लेगा।

(2) सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे हों होंगी जो मूल और अनुसूचक नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी श्रेणी I अधिकारी को लागू होंगे।

अंशकालिक अध्यक्ष और सदस्यों का पारिश्रमिक.—(1) आयोग के किसी ऐसे अंशकालिक अध्यक्ष या सदस्य को, जो दिल्ली का निवासी है, आयोग की वास्तविक बैठकों के प्रत्येक दिन या दिनों के लिए 50 रु० प्रतिदिन की दर पर भत्ता प्रदत्त किया जाएगा; और

(2) आयोग का कोई ऐसा अंशकालिक अध्यक्ष या सदस्य, जो दिल्ली का निवासी नहीं है, आयोग की वास्तविक बैठकों के प्रत्येक दिन या दिनों के लिए 75 रु० प्रतिदिन भत्ते (जिसके अन्तर्गत दैनिक भत्ता भी है) का, और ऐसी दर पर जहां अनुसूचक नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी श्रेणी I अधिकारी को अनुश्रेय है, यात्रा भत्ते का भी, हकदार होगा।

5. **सचिव की सेवा के निबंधन और शर्तें**—(1) आयोग का सचिव 2000-125-2250 रु० वेतनमान में वेतन लगा

(2) सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों की बातें, वह भूय और अनुपूरक नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी श्रेणी / अधिकारी को लागू नियमों द्वारा शासित होगा।

6. **आयोग की अन्य पदों का सृजन या उत्थावन और उन पर नियुक्ति**—(1) आयोग में किसी पद का सृजन या उत्पादन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

(2) किसी ऐसे पद पर जिसके वेतनमान का अधिकतम 1000 रु० या अधिक हो, कोई नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना आयोग द्वारा नहीं की जाएगी।

(3) अन्य पदों पर नियुक्तियाँ ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन की जा सकेंगी जो आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं।

[सं० एम० 11018/4/73-यू० डी० II]

G.S.R. 192(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974) read with clause (g) of sub-section (2) of that section, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Urban Art Commission (Conditions of Exemption) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the 1st day of May, 1974.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974);

(b) "Commission" means the Delhi Urban Art Commission established under section 3 of the Act.

3. **Conditions of Exemption.**—The buildings building operations or engineering operations which have been designed as a result of an architectural competition recognised by the Indian Institute of Architects shall be exempt from the purview of sub-section (2) of section 11 and section 12 of the Act:

Provided that the following conditions are fulfilled, namely:—

(i) the Commission shall be consulted before the rules, programme and criteria of judgement are finalised, so that the Commission's point of view is fully reflected in the Design programme of the Competition; and

(ii) that the Secretary of the Commission is included as an ex-officio member of the jury appointed to select the prize winning design.

Provided further that if such a prize-winning design undergoes modification at the request of the user before construction is actually undertaken, such a building, building operation or engineering operation shall not be exempt from the provisions of the said sections.

[No. M.11018/4/73-UDII]

स।० का० नि० सं० 192(अ).—दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 26 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के साध पठित उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम दिल्ली नगर कला आयोग (छूट की शर्तें) नियम, 1974।

(2) ये नियम 1 मई 1974 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 अभिप्रेत है।

(ख) “आयोग” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित दिल्ली नगर कला आयोग अभिप्रेत है।

3. छूट की शर्तें.—भवनों निर्माण क्रियाओं या इंजीनियरी क्रियाओं को जो भारतीय वास्तुकला संस्थान द्वारा मान्यताप्राप्त किसी वास्तुकलात्मक प्रतियोगिता के फलस्वरूप कपांकित की गई हों। अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) और धारा 12 के क्षेत्र से छूट दी जाएगी :

परन्तु यह तब जब कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हों, अर्थात् :—

(i) इससे पूर्व कि नियमों, कार्यक्रम और निर्णय के सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दिया जाए आयोग से परामर्श किया जाएगा ताकि आयोग का दृष्टिकोण प्रतियोगिता के रूपांकन कार्यक्रम में पूर्णतः प्रतिदर्शित हो जाए; और

(ii) आयोग का सचिव पुरस्कार जीतने वाले रूपांकन का चयन करने के लिए नियुक्त जूरी के सदन सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया हो :

परन्तु यह और कि यदि किसी ऐसे पुरस्कार जीतने वाले रूपांकन में, वस्तुतः सन्निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व उपभोक्ता के आवेदन पर उपान्तरण किया गया हो तो ऐसे किसी भवन, निर्माण क्रिया या इंजीनियरी क्रिया को उक्त धाराओं के उपबन्धों से छूट नहीं दी जाएगी।

G.S.R. 193(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974) read with clause (d) of sub-section (2) of that section the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Urban Art Commission (Budget and Finance) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the 1st day of May, 1974.

2. Definitions.—In these Rules, unless the context otherwise requires:—

- (a) "Act" means the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974);
- (b) "Commission" means the Delhi Urban Art Commission established under section 3 of the Act;
- (c) "Government" means the Central Government;
- (d) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
- (e) "Secretary" means Secretary to the Commission;
- (f) "Year" means the Financial year beginning on the 1st day of April and ending on the 31st day of March following.

3. Form of Budget Estimates.—(1) The budget in respect of the year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure of the Commission shall be prepared in Schedules I, II, III and IV and submitted to the Government.

(2) The estimated receipts and expenditure shall be accompanied by the revised budget estimates for the current year.

(3) The budget shall be based on the account heads given in the Appendix to these rules.

4. Submission of budget estimates to the Commission:—(1) The budget estimates as compiled in accordance with rule 3 shall be placed by the Secretary before the Commission by the 5th of October each year for approval.

(2) After approval of the budget estimates by the Commission, four copies of the final copy of the budget incorporating therein such modifications as have been decided upon by the Commission, with copies of the Schedules shall be submitted to the Government by the 15th of October.

5. Estimates of establishment expenditure and fixed recurring charges.—(1) The estimates of expenditure on fixed establishment as well as fixed monthly recurring charges on account of rent, allowances etc. shall provide for the gross sanctioned pay without deductions of any kind.

(2) To the estimates referred to in sub-rule (1) shall be added a suitable provision for leave salary based on past experience with due regard to the intention of the members of the staff in regard to leave as far as the same can be ascertained.

(3) If experience indicates that the total provision for fixed charges referred to in sub-rules (1) and (2) is likely to exceed, a suitable lump deduction shall be made from the total amount available.

6. Reappropriations and emergent expenditure.—No expenditure which is not covered by a provision in the sanctioned budget estimates, or which is likely to cause excess over the amount provided under any head, shall be incurred by the Commission without provision being made by reappropriation from some other head under which savings are firmly established and available.

7. Power to incur expenditure.—The Commission shall incur expenditure out of the funds received by it in accordance with the instructions laid down under the General Financial Rules of the Government and other instructions issued by the Government from time to time.

8. Operation of fund of the Commission.—The fund of the Commission shall be operated by the Secretary of the Commission or in his absence by any other officer of the Commission who may, subject to the approval of the Government, be so empowered by the Commission.

9. Special provision relating to the budget for 1974-75.—The budget for the year 1974-75 shall be prepared and sent to the Government within one month of the setting up of the Commission and these rules shall apply *mutatis mutandis*, so far as may be applicable.

APPENDIX

BUDGET AND ACCOUNT HEADS (RULE 3)

ADMINISTRATION

Heads of Account (Expenditure)

1. Salaries.
2. Wages.
3. Travel Expenses.
4. Office Expenses.
 - (a) Furniture.
 - (b) Postage.
 - (c) Office Machines/Equipment.
 - (d) Liveries.
 - (e) Hot and Cold Weather Charges.
 - (f) Telephones.
 - (g) Electricity and Water Charges.
 - (h) Stationery.
 - (i) Printing.
 - (j) Staff Cars and other vehicles.
 - (k) Other items.
5. Fee and Honoraria.
6. Payments for professional and special services.
7. Rents, Rates and Taxes/Royalty.
8. Publications.
9. Advertising, Sales and Publicity Expenses.
10. Grants-in-Aid/Contributions/Subsidies.
11. Hospitality Expenses/Sumptuary Allowances etc.
12. Pensions/Gratuities.
13. Writes-off/Losses.
14. Suspense.
15. Other Charges (A residuary head, this will also include rewards and prizes).

Heads of Account (Receipts).

1. Payments by Central Government.
2. Fees.
3. Fines and other receipts.

Schedule I

DELHI URBAN ART COMMISSION

Detailed Budget Estimates for the year 19

—19

ADMINISTRATION

(Expenditure)

Heads of Account	Actuals for the past three years			Sanctioned estimate for the current year 19	Actuals of last six months of the year 19-19	Actuals of six months of the current year 19	Revised estimate for the current year 19	Budget estimate for the next year 19	Variations between columns 5 and 8	Variations between columns 8 & 9.	Explanation for columns 10 and 11
	19	19	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

As in appendix

Schedule II

DELHI URBAN ART COMMISSION

Schedule of Establishment

Statement of details of provision proposed for pay of Officers/Establishment for the year 19

-19

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)			(6)	(7)
Name and designation	Reference to page of estimate form	Sanctioned pay of the post		Amount of provision for the year at the rate in column 3 (c)	Increment falling due within the year			Total provision for the year i.e. total of columns 4 & 5 (c)	Remarks.
		Minimum	Maximum		Date of increment	Rate of increment	Amount of increment for the year		
		(a)	(b)	Actual pay of the person concerned due on 1st April next year (c)	(a)	(b)	(c)		

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

Name and designation	Pay	Dearness Allowance	City Compensatory Allowance	House Rent Allowance	Over-time Allowance	Children Education Allowance	Leave travel concession	Other Allowances	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL									

Schedule IV
DELHI URBAN ART COMMISSION
ABSTRACT OF NOMINAL ROLLS

Actual sanctioned strength as on 1st March, 19	Particulars of posts.	Sanctioned Budget		Revised Estimates		Budget		Explanation for the difference between sanctioned Budget Grant, Revised Estimates and Budget Estimates.
		Grant 19	—19	19	—19	19	—19	
		No. of posts included	Pay and allowances	No. of posts included	Pay and allowances	No. of posts included	Pay and allowances	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I—OFFICERS							
	(a) Posts filled							
	(b) Posts vacant							
	<i>Total I Officers</i>							
	II—ESTABLISHMENT							
	(a) Posts filled							
	(b) Posts vacant							
	<i>Total II Establishment</i>							
	III—Class IV							
	(a) Posts filled							
	(b) Posts vacant							
	<i>Total III Class IV.</i>							
	<i>Grand Total I, II and III</i>							

[No. M. 11018/4/73-UD II]
R. GOPALASWAMY, Jt. Secy.

स/० का/० नि० सं/अ/ 193(अ).—दिल्ली नगर निगम कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 26 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित, उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम दिल्ली नगर कला आयोग (बजट और वित्त) नियम, 1974 है ।

(2) ये नियम 1 मई, 1974 से प्रवृत्त होंगे ।

2 परिभाषाएँ :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) 'अधिनियम' से दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित दिल्ली नगर कला आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) 'सरकार' से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(घ) 'अनुसूची' से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ङ) 'सचिव' से आयोग का सचिव अभिप्रेत है ;

(च) 'वर्ष' से 1 अप्रैल, को प्रारम्भ होने वाला और अगले 31 मार्च, को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

3. बजट प्राक्कलनों का प्रारूप.—(1) आगामी वित्तीय वर्ष का बजट, जिसमें आयोग की प्राक्कलित प्राप्तियाँ और व्यय दिखाये गये हों, अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में तैयार किया जाएगा और सरकार को भेजा जाएगा ।

(2) प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय के साथ चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन होंगे ।

(3) बजट इन नियमों के परिशिष्ट में दिए गए लेखा शीर्षों पर आधारित होगा ।

4. **आयोग को बजट प्रावकलों का भेजा जाना।—**(1) नियम 3 के अनुसार यथा पठकलित बजट प्रावकलन अनुमोदन के लिये प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर तक आयोग के समय सचिव द्वारा रखे जायेंगे ।

(2) आयोग द्वारा बजट प्रावकलों का अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् बजट की अन्तिम प्रतिलिपी की चार प्रतियां जिन में छेसे उपात्तरण कर दिये गये हों जो आयोग द्वारा विनिश्चित किए जायें, और अनुसूचियों की प्रतियां 15 अक्टूबर तक सरकार को भेजी जायेंगी ।

5. **स्थापन व्यय और नियत आवर्ती प्रभारों के प्रावकलन।—**(1) नियत स्थापन पर व्यय और साथ ही भाठक, भत्ते आदि के मद्दे नियत मासिक आवर्ती प्रभारों के प्रावकलों में, किसी प्रकार की कटौतियां किए बिना सकल मंजूर वेतन के लिये उपबन्ध किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रावकलन नें छुट्टी के सम्बन्ध में छुट्टी सम्पलम, के लिये उपयुक्त उपबन्ध किया जाएगा जो कर्मचारिवृन्द के सदस्यों के आशय का सम्यक, ध्यान रखते हुए पिछले अनुभव पर वहां तक आधारित होगा जहां तक कि वह अभिनिश्चित किया जा सके ।

(3) यदि अनुभव से यह प्रतीत हो कि उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट नियत प्रभारों के लिए कुल उपबन्ध के अधिक होने की सम्भावना है तो कुल उपलब्ध रकम में से उपयुक्त एकमुश्त कटौती की जाएगी ।

6. **पुनर्विनियोग और अतिरिक्त व्यय।—**कोई ऐसा व्यय, जो मंजूर बजट प्रावकलों के किसी उपबन्ध के अन्तर्गत नहीं आता हो, या जिसकी वजह से किसी शीर्ष के अधीन उपबन्धित रकम से आधिक्य होना सम्भाव्य हो, किसी ऐसे अन्य शीर्ष में से जिसके अन्तर्गत बजट बचत निश्चित रूप से प्रतिपादित की गई हों और उपलब्ध हों, पुनर्विनियोग द्वारा उपबन्ध किए बिना आयोग द्वारा उपगत नहीं किया जाएगा ।

7. **व्यय उपगत करने की शक्ति।—**आयोग अपने द्वारा प्राप्त निधियों में से व्यय, सरकार के साधारण वित्तीय नियम के अधीन अधिकथित अनुदेशों और सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अन्य अनुदेशों के अनुसार उपगत करेगा ।

8. **आयोग की निधि की संक्रिया।—**आयोग की निधि की संक्रिया आयोग के सचिव द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में आयोग के किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जो, सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए आयोग द्वारा इस प्रकार सशक्त किया जाए ।

9. **1974-75 के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध।—**1974-75 के लिये बजट आयोग के स्थापित किए जाने से एक मास के अन्दर तैयार किया जाएगा और सरकार को भेजा जाएगा और ये नियम, यावत्साध्य, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

परिशिष्ट

बजट और लेखा शीर्ष (नियम 3)

प्रशासन

लेखा शीर्ष (व्यय)

1. सम्बलम्;
2. मजदूरी
3. यात्रा व्यय
4. कार्यालय व्यय :
 - (क) फर्नीचर
 - (ख) डाक महसूल
 - (ग) कार्यालय मशीन/उपकरण
 - (घ) बर्तियां
 - (ङ) ग्रीष्म और सर्दी ऋतु प्रभार
 - (च) टेलीफोन
 - (छ) विद्युत और जल प्रभार
 - (ज) लेखन सामग्री
 - (झ) मुद्रण
 - (ञ) स्टाफ कार और अन्य यान
 - (ट) अन्य मर्चे
5. फीस और मानदेय
6. वृत्तिक और विशेष सेवाओं के लिये संदाय
7. भाटक, रेंट और कर/स्वामित्व
8. प्रकाशन
9. विज्ञापन, विक्रय और प्रचार व्यय
10. महायता अनुदान/अभिदाय/सहायकी
11. आतिथ्य व्यय/समचुअरी भत्ते आदि
12. पेंशन/उपदान
13. अपलेखन/हानियां
14. उर्ध्वत
15. अन्य प्रभार (कोई अवशिष्ट शीर्ष, इसके अन्तर्गत इनाम और पुरस्कार भी होंगे)

लेखा शीर्ष (प्राप्तियां)

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संदाय की रकम ।
2. फीस ।
3. जुर्माने और अन्य प्राप्तियां ।

अनुसूची- 1

दिल्ली नगर कला आयोग

वर्ष 197.....19... के लिये ब्यौरेवार बजट प्राक्कलन

प्रशासन

(व्यय)

लेखा शीर्ष	पिछले तीन वर्षों के लिये वास्तविक आंकड़े		चालू वर्ष 19... के लिये मंजूर		वर्ष 19...19... के अन्तिम छः मास के वास्तविक आंकड़े		चालू 19... चालू 19... के लिये छः मास के वास्तविक आंकड़े		चालू 19... अगले वर्ष 19... के रीक्षित प्राक्कलन लिये बजट प्राक्कलन,		स्वम्भ 5 और 8 के बीच अंतर		स्वम्भ 8 और 9 के बीच अंतर		सूतम्भ और 11 के लिये स्पष्टी- करण	
	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					

परिशिष्ट के अनुसार

अनुसूची 2
विस्ती नगर सेवा आयोग
स्थापन की अनुसूची

वर्ष 19.... 19.... के लिये आफिपरी/स्थापन के वेतन के लिये प्रस्तावित उपबन्ध के दौरो का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नाम और पदाभिधान	प्राक्कलन प्ररूप के पृष्ठ का निर्देश	पद का संभूर वेतन (क) (ख) (ग) न्यूनतम अधिकतम अगले वर्ष 1 अप्रैल को देय सम्पत्त व्यक्ति का वास्तविक वेतन	स्तम्भ 3 (ग) में को दर पर इस वर्ष के लिये उप-बन्ध की रकम	इस वर्ष के आन्दर देय होने वाली वेतन वृद्धि (क) वेतन वृद्धि की तारीख (ख) वेतन वृद्धि की दर (ग) इस वर्ष के लिये वेतन वृद्धि की रकम	इस वर्ष के लिये कुल उपबन्ध अर्थात् स्तम्भ 4 और 5 (ग) का योग	टिप्पणियां

अनुसूची 4
दिल्ली नगर कला आयोग
नाभिय रूजी की मक्षिति

मार्च, 19 .. वास्तविक संख्या	पदों की विजिष्टियां	मंजूर वजत अनु- दान	19.. 19..	19.. 19..	पुनरीक्षित प्राक्कलन	वजत प्राक्कलन	मंजूर वजत अनुदान, पुन- रीक्षित प्राक्कलनों और वजत प्राक्कलनों के बीच अन्तर के लिये स्पष्टीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8
I.—अधिकारी	(क) भरे हुये पद (ख) रिक्त पद योग I.—अधिकारी	भमाविष्ट पदों की संख्या	वेतन और भत्ते	नभामविष्ट पदों की संख्या	वंतन और भत्ते	मभामविष्ट पदों की संख्या	वेतन और भत्ते
II.—स्थापन	(क) भरे हुये पद (ख) रिक्त पद योग II.—स्थापन						
III.—वर्ग 4	(क) भरे हुये पद (ख) रिक्त पद योग III.—वर्ग 4						
कुल योग I, II और III							

[सं. एम. 11018/4/73-यू.डी. II]
आर. गोपालास्वामी, सयुक्त, सचिव।

